(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-42/2005-U3(A)
Government of India
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
U.3(A) Section

Shastri Bhawan, New Delhi-01,
Dated the 16th December, 2019

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide its Notification No.9-42/2005-U3(A) dated 27.06.2008, on the advice of UGC, had declared "Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya", Allahabad, Uttar Pradesh consisting of Rajiv Gandhi P.G. College as "deemed to be University" for a provisional period of three years.

3. **And whereas**, the Hon'ble Supreme Court of India, vide its judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 (arising out of SLP(C) Nos.19807-19808/2012) filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos.17902-17905/2017 (arising out of SLP C Nos.35793-96/2012) titled as Vijay Kumar & Ors Vs. Kartar Singh & Ors, held that UGC shall take appropriate steps for implementing Section 23 of the UGC Act and restraining Deemed to be Universities from using the word 'University' within one month from today.

4. **And whereas**, as per direction of Hon'ble Supreme Court and on the advice of the UGC, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, changed the name of "Nehru Gram Bharati Vishwavidyalaya" to "Nehru Gram Bharati" by deleting the word 'Vishwavidyalaya' from its name, vide Notification No.9-42/2005-U3(A) dated 11th January, 2018, with the condition that Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh shall not use the word 'University' suffixed to its name but may mention the word "deemed to be university" within parenthesis suffixed thereto.

5. **And whereas**, the UGC constituted an Expert Committee to examine the performance and academic outcomes of the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh. The Committee, in its report, gave the **poor** grade to Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh on academic performance of the Institution and did not recommend for continuation of their Deemed to be University status. The report of the UGC Committee was considered by the Commission in its 544th meeting (Item No.2.12) held on 16.10.2019 in which the following resolution was passed:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Standing Committee and resolved to continue/extend Deemed to be University status for those Institutions who were rated Excellent, Very Good & Good for academic performance by the Expert Committee. However, those Deemed to be Universities which were rated poor and average for academic performance will not be granted continuation / extension."

6. Further, the recommendation of UGC was considered in this Ministry. Now, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, hereby extends the Deemed to be University status of Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh from 27.06.2011 to 30.06.2020 with the conditions that the Deemed to be University will again be evaluated on the academic outcomes & performance parameter before admission of the students in the next Academic Session i.e. 2020-21. However, the students already admitted in Deemed to be University will continue to get their Degrees from the Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.

Subba Rao

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.

2. The Vice-Chancellor, Nehru Gram Bharati, Allahabad, Uttar Pradesh.
3. The Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Higher Education Department, Government of U.P., Lucknow.
4. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
6. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
7. Guard file / Notification file.

(V.L.V.S.S. Subba Rao)
Senior Economic Advisor
Tel: 011-23073687

[भारत के राजपत्र, भाग-I खंड 1 में प्रकाशनार्थ]

सं.एफ.9-42/2005-यू.3 (ए)
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 16 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

जबकि, केंद्रीय सरकार को यूजीसी की सलाह से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किसी भी उच्चतर शिक्षा संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 27.06.2008 की अधिसूचना सं. 9 -42/2005-यू.3 (ए) के तहत "नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय", इलाहाबाद, जिसमें राजीव गांधी स्नातकोत्तर कॉलेज शामिल है, को तीन वर्षों की अनंतिम अवधि के लिए "समविश्वविद्यालय" घोषित किया था।

3. **और जबकि,** भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबिशंकर पात्रो एवं अन्य द्वारा दायर सिविल अपील सं. 17869-17870/2017 (एसएलपी (सी) सं. 19807-19808/2012 से उत्पन्न) और विजय कुमार एवं अन्य बनाम करतार सिंह एवं अन्य शीर्षक सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 (एसएलपी सी सं. 35793-96/2012 से उत्पन्न) में अपने दिनांक 03.11.2017 के आदेश में यह निर्णय दिया है कि यूजीसी, आज से एक माह के भीतर यूजीसी अधिनियम की धारा 23 के कार्यान्वयन और समविश्वविद्यालयों को "विश्वविद्यालय" शब्द का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के समुचित उपाय करेगा।

4. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार और यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर इस शर्त पर कि "नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय", इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश अपने नाम के बाद "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग नहीं करेगा किंतु कोष्ठक में "समवत विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग कर सकता है, दिनांक 11.01.2018 की अधिसूचना सं. 9 -42/2005-यू.3 (ए) के जरिए "विश्वविद्यालय" शब्द का विलोपन कर "नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय" का नाम बदलकर "नेहरू ग्राम भारती" कर दिया गया।

5. **और जबकि,** यूजीसी ने नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का कार्य-निष्पादन और शैक्षणिक परिणामों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को संस्थान के कार्य-निष्पादन पर **खराब** ग्रेड प्रदान किया है, और इसके समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने की संस्तुति नहीं की है। यूजीसी समिति की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.2019 को आयोजित अपनी 544वीं बैठक में विचार किया गया जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया था:

"समिति ने यूजीसी विशेषज्ञ स्थायी समितिकी रिपोर्ट पर विचार किया और उन संस्थाओं के लिए समवत विश्वविद्यालय के दर्जे को जारी रखने/उसका विस्तरण करने का संकल्प किया विशेषज्ञ समिति द्वारा शैक्षणिक कार्य- निष्पादन के लिए जिनका रैंक उत्कृष्ट, बहुत अच्छा और अच्छा निर्धारित किया गया था। तथापि, उन समवत विश्वविद्यालय का दर्जा जारी नहीं रखा जाएगा/उसका विस्तरण नहीं किया जाएगा, शैक्षणिक कार्य- निष्पादन के लिए जिनका रैंक खराब और औसत था।"

6. **इसके अतिरिक्त,** यूजीसी की संस्तुति पर इस मंत्रालय में विचार किया गया था। अब, अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतदद्वारा इसके अध्यधीन कि अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात 2020-21 में छात्रों के दाखिले से पूर्व शैक्षणिक परिणामों और कार्य-निष्पादन मापदंडों के संबंध में समवत विश्वविद्यालय का पुन: मूल्यांकन किया जाएगा। नेहरु ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का समविश्वविद्यालय दर्जा 27.06.2011 से 30.06.2020 तक आगे बढाती है। हालांकि, समवत विश्वविद्यालय में पहले से ही दाखिल छात्र अपनी डिग्रियां नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से ही लेते रहेंगे।

7. नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/ विनियमों में समय-समय पर जारी उल्लिखित अन्य शर्तों पालन करता रहेगा।

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 011-23073687

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली- 110002.

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
4. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
6. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
7. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल

सुब्बा राव

(वी.एल.वी.एस.एस. सुब्बा राव)
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 011-23073687